पत्रांक–04/वि0 16–109/2024 (E-386587)..........1560..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक......15·09·2025......

विषय :– विद्यालय निरीक्षण/अनुश्रवण के संबंध में।

प्रसंग :– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का पत्रांक 10/गो· दिनांक–20.02.2025

महाशय/महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालय के नियमित अनुश्रवण का उद्देश्य है कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय का निरीक्षण नीतिगत मानक के अनुरूप हो तथा विद्यालय के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो अनुश्रवण के माध्यम से उसे ठीक कराया जाय ताकि अध्ययनरत बच्चों के विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके।

2. राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों को अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न अवसरों पर मुख्यालय से क्षेत्रीय/मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3. प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में निर्गत निदेश में निम्न रूप से आंशिक संशोधन किया जाता है :–

मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी जो क्षेत्र में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जाएंगे, उनके लिए निरीक्षण हेतु विद्यालयों की सूची कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मुख्यालय द्वारा तथा क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निरीक्षी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत शेष निदेश यथावत रहेंगे।

4. अतः उपर्युक्त विषय के आलोक में अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय निरीक्षण के लिए सभी संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण, अनुश्रवण एवं निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरीक्षण कार्य को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ करेंगें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Rajendar 12.9.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 04/वि0 16–109/2024 1560 पटना, दिनांक 15-09-2025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeev 12.9.2025

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 04/वि0 16–109/2024 1560 पटना, दिनांक 15-09-2025

प्रतिलिपि :– सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/ प्रबंध निदेशक, BSEIDC/ सभी निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeev 12.9.2025

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– 04/वि0 16–109/2024 1560 पटना, दिनांक 15-09-2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeev 12.9.2025

अपर मुख्य सचिव।

डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

विकास भवन, पटना - 800 015
फोन : 0612 - 2217016 (कार्यालय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@nic.in

पत्रांक – 04/वि0–16–109/2024....10/311/ पटना, दिनांक – 20.02.2025

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **विद्यालय के निरीक्षण/अनुश्रवण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–76/गो0, दिनांक–06.06.2024 द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय निरीक्षण हेतु दिशा निदेश निर्गत किये गए हैं। इस क्रम में सरकारी विद्यालय के निरीक्षण हेतु नया प्रपत्र विभागीय पत्रांक – 74, दिनांक – 15.01.2025 द्वारा विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भरकर स्कैनिंग कर ई–शिक्षाकोष पर अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश संसूचित किया गया है।

2. उक्त क्रम में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विद्यालय अनुश्रवण की जिम्मेवारी दी गयी। जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यरत संविदा पदाधिकारी/कर्मी या वाह्य श्रोत से कार्यरत कर्मियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किए गये डाटा लगभग फर्जी हैं। जब स्थानीय जाँच की गयी तो निरीक्षण प्रतिवेदन और स्थलीय स्थिति में बहुत भिन्नता थी। उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी सचेतता एवं संवेदनशीलता की कमी पायी गई है।

3. <u>**किनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा :**</u>

निरीक्षण की गुणवत्ता तथा उपयोगिता बढाने हेतु इस निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं BEP के निम्नलिखित नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे :

i. जिला शिक्षा पदाधिकारी

ii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

iii. कार्यक्रम पदाधिकारी

iv. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

v. अपर जिला कार्यकम समन्वयक (BEP)

vi. सहायक कार्यकम पदाधिकारी (BEP)

4. <u>**किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा :**</u>

जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उसका चयन प्रत्येक निरीक्षण हेतु निर्धारित दिन अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों की सूचना एक दिन पूर्व रात्रि 9 बजे मोबाईल पर अपर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से भेजी जाएगी। सूचना के आधार पर अगले दिन संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे एवं विभागीय पत्रांक 76/गो०, दिनांक–06.06.2024 में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में निरीक्षण करेंगे तथा विद्यालय निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक – 74, दिनांक 15.01.2025 के अनुसार ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। (नया प्रपत्र संलग्न है)।

विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को बिना बताए वे विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। ये सभी निरीक्षण औचक होंगे एवं पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे।

यदि किसी कारणवश, यथा अस्वस्थता या अन्य कारण से संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण नहीं कर पाए तो वे इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव कार्यालय में इस व्यवस्था का संचालन करने वाले नोडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग

को सूचित करेंगे एवं अपर मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पुनः किसी अन्य तिथि को निरीक्षण हेतु कोई अन्य विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जिसका वे निरीक्षण करेंगे।

सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम–से–कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। अतः निरीक्षण के कार्य को सभी पदाधिकारी गंभीरता से लेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी या भ्रामक पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अतः इस पत्र के निर्गत की तिथि से सभी वाह्य स्त्रोत के कर्मी, अल्प अवधि संविदा कर्मी को निरीक्षण कार्य से मुक्त किया जाता है।

साथ ही कंडिका –3 में वर्णित पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों को निरीक्षण कार्य से मुक्त किया जाता है।

अनुलग्नकः–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

19/2/2025

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 04/वि0–16–109/2024...10/1150... पटना, दिनांकः–...20.02.2025...

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/2025
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 04/वि0–16–109/2024...10/1150... पटना, दिनांकः–...20.02.2025...

प्रतिलिपिः– सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/प्रबंध निदेशक, BSEIDC/सभी निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/2025
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 04/वि0–16–109/2024...10/1150... पटना, दिनांकः–...20.02.2025...

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/2025
अपर मुख्य सचिव।

अनुलग्नक–1

निरीक्षण प्रपत्र दिनांकः

यू–डायस कोडः		जिलाः		प्रखंडः
विद्यालय का नामः			पंचायत–	
वर्ग	से (From) :	तक (To) :	सेक्शन की कुल संख्याः	

वर्ग कक्ष	अच्छी स्थिति में पूर्ण	खराब स्थिति में पूर्ण	अधूरा	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन	ध्वस्त करने के लिए लंबित
कमरों की संख्या					

अन्य भवन	शौचालय	पुस्तकालय	भंडार	कार्यालय	आई. सी. टी. लैब	प्रयोगशाला	अन्य कमरे
गूर्ण किए गए कमरे (अच्छी स्थिति में)							
पूर्ण किए गए कमरे (खराब स्थिति में)							
स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कमरो की संख्या	**						
	##						
ध्वस्त करने हेतु							

अन्य बिन्दु	आई.सी.टी. लैब में कम्प्यूटर	प्रिंटर	एम्प्लीफायर/ लाउडस्पीकर	सबमर्सिबल वाटर सप्लाई	ओवर हेड टैंक	ड्रिंकिंग पोस्ट	रनिंग वाटर इन टॉयलेट	विद्युत सम्बद्ध (उपभोक्ता सं0)
संख्या (ठीक)								
संख्या (खराब)								

कक्षा / कमरा सं0 ***		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ठीक बेंच डेस्क की सं0													
खराब क्वालिटी की बेंच डेस्क की सं0													
टूटे बेंच डेस्क की सं0													
पंखा	चालू												
	खराब												
	नहीं है												

अन्य निर्माण की स्थिति	चहारदिवारी			खेल का मैदान (क्षेत्रफल) लंबाई x चौड़ाई फीट में	खेल सामग्रीयों की संख्या			वाद्यय यंत्रो की संख्या	
	पूर्ण	मौजूद नही	टूटा हुआ		फुटबॉल	छोटी गेंद	बल्लां	हारमोनियम	तबला

मध्याह्न भोजन								
भंडार में चावल	प्लेट (संख्या)	ग्लास (संख्या)	जग (संख्या)	दरी (संख्या)	रसोईघर		फल	अंडा
					स्टोम / लकड़ी चुल्हा	स्लेंडर		
क्या भोजन की गुणवत्ता एवं छात्रों की संख्या सभी शिक्षकों से सत्यापित किया जा रहा है या नहीं। यदि नहीं तो अलग से प्रतिवेदन संलग्न करें।								

एफ.एल.एन. किट्स	विद्यार्थीयों की दी गई किट्स की संख्या	क्या किट्स का उपयोग शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है?		
		हाँ	नही किया जा रहा है।	बक्से में बंद है।

पुस्तकालय				
अलग कमरा	आलमारी की संख्या	टेबल की संख्या	कुर्सी की संख्या	किताबों की संख्या

विद्यालय में उपस्थिति : दिनांक– .... के आँकड़े।

विद्यार्थी	वर्ग 1	वर्ग 2	वर्ग 3	वर्ग 4	वर्ग 5	वर्ग 6	वर्ग 7	वर्ग 8	वर्ग 9	वर्ग 10	वर्ग 11	वर्ग 12	कुल
नामांकित													
उपस्थित													
युनिफॉर्म में													
बिना युनिफॉर्म में													
परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की सं0													

शिक्षक विवरणी:–

क्षमता	पदस्थापित	प्रतिनियुक्ति पर (अन्य स्कूल से)	प्रतिनियुक्ति पर (अन्य स्कूल में)	अन्य प्रतिनियुक्ति पर	उपस्थित	अनुपस्थित

स्मार्ट वर्ग

स्मार्ट क्लास	टेलीविजन		इंटरनेट	
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत

वर्ग कार्य (Class Work)	विषयवार नोटबुक है या नही ?	गृह कार्य (Home Work)	
		दिया जाता है	जाँचा जाता है

निरीक्षण तिथि	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

क्या मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अंतर्गत बच्चों को परिभ्रमण कराया गया है या नहीं।	

क्या विद्यालय का कोई कमरा/जमीन अतिक्रमित है? अगर हाँ तो संक्षेप में अंकित करें।	

: एक साल से अधिक अवधि से लम्बित :–

****** : अन्य लम्बित भवन:–

******* : अगर किसी विद्यालय में 12 से अधिक कमरे हैं तो उसका प्रतिवेदन अलग से संलग्न करें।

अन्य मुद्दे (निरीक्षी पदाधिकारी का सामान्य टिपण्णी)

***